तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **रूपसिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, औसियां.)** सू.अ. अपील संख्या 22 / 2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27 / 03 / 2024	अपीलार्थी रूप सिंह निवासी गांव बालरवा, तहसील तिंवरी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 10.01.2024 को जनवरी 2021 से दिसम्बर 2023 तक ग्राम पंचायत बालरवा, तहसील तिंवरी द्वारा जारी पट्टों की सूची की प्रमाणित प्रति से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, औसिया) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, औसिया) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, औसियां) ने जरिये पत्रांक 473 दिनांक 2[illegible]24 द्वारा बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय [illegible] 26.03.2024 के जरिये प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:18:53 IST
Reason: SelfAttested